अध्याय - 5

जिला पुनर्गठन संबंधी

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
अधिसूचना

पटना–15, दिनांक 5 जुलाई, 2003

अधिसूचना संख्या–10/जि०पु० 5–07/2000 का०–218/ बिहार जिला अधिनियम, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अरवल अनुमण्डल एवं अरवल जिला के क्षेत्र का पुनर्निर्धारण निम्नप्रकार से अधिसूचना निर्गत की तिथि से करते हैं:–

1. रतनीफरीदपुर प्रखंड का सम्पूर्ण क्षेत्र जहानाबाद जिला में रहेगा। अतः 5 (पाँच) पंचायतें–लाखापुर, झुनाठी, सोहरेया (सोहेला), कसवा एवं निहालपुर जो पहले अरवल जिला में था को जहानाबाद के क्षेत्राधिकार में दिया जाता है।

2. उपरोक्त पाँच पंचायतों को किंजर थाना (अरवल) के क्षेत्राधिकार से अलग कर परसबिगहा अमन थाना (जहानाबाद) के क्षेत्राधिकार में दिया जाता है।

3. कसवा पंचायत को कुर्था थाना (अरवल) के क्षेत्राधिकार से अलग कर शकूराबाद थाना (जहानाबाद) के क्षेत्राधिकार में दिया जाता है।

4. सदर अनुमण्डल जहानाबाद में अब मात्र 7 प्रखंड–जहानाबाद, काको, मखदुमपुर, घोसी, मोदनगंज, हुलासगंज एवं रतनीफरीदपुर रहेंगे और यही स्थिति जिला जहानाबाद के लिए होगी।

5. सदर अनुमण्डल अरवल में अब बढ़कर कुल 5 प्रखंड अरवल, कलेर, करपी, वंशीसोनभद्र तथा कुर्था रहेंगे। यही क्षेत्र जिला अरवल का भी रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह० अस्पष्ट
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक – 218 पटना, दिनांक 05.07.2003

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की दो सौ प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह० अस्पष्ट
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 218 पटना, दिनांक 05.07.2003

प्रतिलिपि– गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/स्थापना पदाधिकारी, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली/विधि विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/स्थानीय आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/लोकायुक्त, बिहार, पटना/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय/सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/महानिदेशक आरक्षी, बिहार/सभी आरक्षी महानिरीक्षक/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/उप निदेशक, सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. प्रतिलिपि–निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/महालेखाकार, बिहार एवं झारखण्ड, पटना एवं राँची/निदेशक कोषागार एवं लेखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० अस्पष्ट

सरकार के उप सचिव

---

[2]

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक 20 अगस्त, 2001

अधिसूचना संख्या–10/जि०पु० 5–07/2000 का०–142/ बिहार जिला अधिनियम, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अरवल अनुमंडल को, जो जहानाबाद जिला का भाग था, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अरवल जिला सृजित करते हैं। इस नव सृजित जिला का मुख्यालय अरवल होगा।

2. नये अरवल जिले का भौगोलिक क्षेत्र वही होगा जो वर्त्तमान अरवल पुलिस जिला का है।

3. शेष क्षेत्र यथावत जहानाबाद जिला का अंग रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

संजय कुमार

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 10/जि०पु० 5–07/2000 का०–142 पटना–15, दिनांक 20 अगस्त, 2001

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 200 (दो सौ) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

संजय कुमार

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 10/जि०पु० 5–07/2000 का०–142 पटना–15, दिनांक 20 अगस्त, 2001

प्रतिलिपि–गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/स्थापना पदाधिकारी, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली/विधि विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/स्थानीय आयुक्त, बिहार भवन, 5 कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/लोकायुक्त, बिहार, पटना/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/महानिदेशक–सह–आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना/सभी महानिरीक्षक/सभी जिला अधीक्षक/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी/उप निदेशक, सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. प्रतिलिपि–निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना एवं राँची/निदेशक, कोषागार एवं लेखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संजय कुमार

सरकार के अपर सचिव।